कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

श्री मुथरेश बिहारी पुत्र श्री रामलाल निवासी गुडलिया, तहसील बसवा, जिला दौसा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार बसवा, जिला दौसा।

अपील सं0 28/2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक : 25.08.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बसवा जिला दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वॉछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बसवा जिला दौसा को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बसवा जिला दौसा से संबंधित है। किंतु आवेदक को वांछित सूचना प्राप्त नहीं होने पर उनके द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बसवा जिला दौसा को इस कार्यालय के पत्रांकः डीएम/कोर्ट/2020/1307 दिनांक 27.072020 व डीएम/कोर्ट/2020/1359 दिनांक 11.08.2020 द्वारा पत्र जारी कर प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट चाही गई। किंतु लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बसवा जिला दौसा की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना/नकल उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना संबंधित व्यक्ति को 30 दिवस की समयावधि में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, बसवा जिला दौसा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को वॉछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावें। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा